



न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चित्तौड़गढ़ (राज.)

ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल सुरपुर

ग्रामीण सेवा शिविर-2025

#1638

धारा अन्तर्गत - 136 प्र.सं. 1330 दायर दिनांक 11/10/25 निर्णय दिनांक 11/10/25

क्र.सं.	नाम- ग्राम	खान	रिपोर्ट	कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	सुरपुर	155	<p>महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक / 2025-26 / 113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्रविष्टी शुद्ध प्रविष्टी</p> <p>बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्थान ग्रामीण बैंक</p>	<p>तहसिलीदार कपासन की अनुशंसा स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा 136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम सुरपुर प.ह सुरपुर खतासं 155 में वर्तमान प्रविष्ट बड़ौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p>
			<p>हस्ताक्षर पटवारी</p> <p>हस्ताक्षर गिरदावर</p> <p>हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार</p>	<p>पदेन सहायक कलक्टर कपासन</p>

प्रतिलिपि पालनार्थ:-

1. पटवारी पटवार मण्डल सुरपुर को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमलदरामद करें।

सहायक कलक्टर  
(सुरपुर उपखण्ड अधिकारी)  
न्यायलय चित्तौड़गढ़

तहसीलदार कपासन

तहसीलदार (पू.अ.) कपासन